EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 859—874

Dated 16-6-2012

संसदीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2012

सा.का.नि. 145.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संसदीय कार्य विभाग (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 को, जहां तक उसका संबंध स्टाफ कार चालक और सवार हरकारा के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संसदीय कार्य मंत्रालय में स्टाफ कार चालक और सवार हरकारा, समूह "ग" के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य मंत्रालय, स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I), स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II), स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) और सवार हरकारा (समूह "ग" पद), भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार चालक (श्रेणी I)	2* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, (5200-20200 रुपये) + ग्रेड वेतन 2800 रुपये	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति : ऐसे स्टाफ कार चालक जिन्होंने उस** श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए** न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-I (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु. में नियमित आधार पर स्टाफ कार चालक श्रेणी-II की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है । **टिप्पण 1 :** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल

(11)
उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. उप-सचिव (प्रशा.), संसदीय कार्य मंत्रालय —अध्यक्ष 2. किसी अन्य मंत्रालयों से नामनिर्देशिती अवर सचिव या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी —सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशा.), संसदीय कार्य मंत्रालय —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II)	2* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित (अनसुचिवीय)	वेतन बैंड-1, (5200-20200 रुपये) + ग्रेड वेतन 2400 रुपये	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

(10)	(11)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रति-नियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसे स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(11)

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1900 रु. में स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं, अर्थात् :

(i) मोटर कार चलाने का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति;

(ii) मोटर के कल-पुरजों का ज्ञान (अभ्यर्थियों को यानों की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने के योग्य होना चाहिए; और

(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफरिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति :- 1. उप-सचिव (प्रशा.), संसदीय कार्य मंत्रालय —अध्यक्ष 2. किसी अन्य मंत्रालयों से नामनिर्देशित अवर सचिव या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी —सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशा.), संसदीय कार्य मंत्रालय —सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी)	03* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, (5200—20200 रुपये) + ग्रेड वेतन 1900 रुपये	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों

(6)

से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक :— (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; (ii) मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; (iii) मोटर के कल-पुरजों का ज्ञान (अभ्यर्थी को यानों में की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने के योग्य होना चाहिए) (iv) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और (v) विहित व्यावसायिक परीक्षण में अर्हक । **टिप्पण** : अनुभव संबंधी अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा ।	**प्रोन्नति** : संसदीय कार्य मंत्रालय के ऐसे सवार हरकारा में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृंद (समूह ''ग'') कर्मचारियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास मोटर कार चलाने के लिए सक्षमता निर्धारण करने का चालन परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यधीन रहते हुए मोटर कार चलाने का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो ।

(11)

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे कार्मिकों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)

विभागीय प्रोन्नति समिति :—

1. उप-सचिव (प्रशा.) संसदीय कार्य मंत्रालय —अध्यक्ष
2. किसी अन्य मंत्रालयों से नामनिर्देशिती अवर सचिव या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी —सदस्य
3. अवर सचिव (प्रशा.), संसदीय कार्य मंत्रालय —सदस्य

(13)

लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सवार हरकारा	02* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-I, (5200—20200 रुपये) + ग्रेड वेतन 1900 रुपये	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,

(6)
सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक :— (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; (ii) आटो रिक्शा चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; (iii) आटो रिक्शा चलाने का तीन वर्ष का अनुभव; और (iv) आटो रिक्शा के कल-पुरजों का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाणिज्यिक स्कूटर या आटो रिक्शा यान में की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने के योग्य होना चाहिए); और (v) वाणिज्यिक स्कूटर या आटो रिक्शा के चालकों से आवश्यक माने जाने वाले सक्षमता के मानकों के प्रतिनिर्देश से उस पद के लिए न्याय निर्णयन पात्रता के बारे में परिकल्पित विहित व्यावसायिक परीक्षण में अर्हित । टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन द्वारा ।	प्रोन्नति : संसदीय कार्य मंत्रालय में नियमित समूह ग (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) कर्मचारियों में से जो आटो रिक्शा के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्तिधारी हैं और जिन्होंने निम्नलिखित पाठ्यक्रम के आधार पर चालन परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यधीन रहते हुए उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है :

(11)

(i) अंग्रेजी संख्यांक और अंक पढ़ने की योग्यता

(ii) आटो रिक्शा चलाने का बुनियादी ज्ञान;

(iii) आटो रिक्शा की रखरखाव और कल-पुरजे का बुनियादी ज्ञान (अभ्यर्थी को वाणिज्यिक स्कूटर या आटो रिक्शा यान में की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने के योग्य होना चाहिए);

(iv) यान के लाक बुक या इतिवृत्त के रखरखाव का ज्ञान;

(v) यातायात नियमों का ज्ञान ।

सैनिकों के लिए :

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे कार्मिकों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)

विभागीय प्रोन्नति समिति :—

1. उप-सचिव (प्रशा.) संसदीय कार्य मंत्रालय —अध्यक्ष
2. किसी अन्य मंत्रालयों से नामनिर्देशिती अवर सचिव या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी —सदस्य
3. अवर सचिव (प्रशा.), संसदीय कार्य मंत्रालय —सदस्य

(13)

लागू नहीं होता ।

[फा. सं. एफ. 4(1)/2009-प्रशा.]

रामेश्वर प्रसाद, अवर सचिव